दलित अधिकार केन्द्र
CENTRE FOR DALIT RIGHTS

P.L. Mimroth, Advocate
Chief Patron

(Initiative of DMKS-Regd.)

R.K. Ankodia
Chairperson
(Former Member, SHRC)

Office : 112, Surya Nagar, Gopalpura Bypass, Jaipur (Rajasthan) 302015
Telefax : 0141-2504837, 2504119
E-mail : cdrjaipur@gmail.com, rajasthancdr@yahoo.com, **Website: wwwcdrjaipur.org**

क्रमांक   दिनांक 11 अप्रेल 2015

प्रेस विज्ञप्ति

ग्राम बसवाणी, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर में दलित की झौपडी में आग लगाने से पिता–पुत्र गम्भीर रूप से जले, 65 वर्षीय महिला की जलने से मौत

सम्पादक महोदय,

नागौर

दलित अधिकार केन्द्र जयपुर के जाच दल ने ग्राम **बसवाणी, पुलिस थाना सदर, जिला नागौर पर पीडित परिवार से मिलकर वास्तविक स्थिति का जायजा लिया व महत्वपूर्ण तथ्य जुटाये गये व जिला कलेक्टर नागौर व पुलिस अधीक्षक नागौर** को ज्ञापन देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।

घटना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :– दिनांक 19 फरवरी 2015 को रात्री 12.30 बजे पीडित बाबूलाल पुत्र पेमाराम मेघवाल, माता जडाव देवी व बाबू लाल मेघवाल का पुत्र हरेन्द्र मेघवाल, खेत में बनी टपरी (बसवाणी) में सो रहे थे उसी समय उक्त समस्त आरोपी पीडितों को जान से मारने की नियत से टपरी के उपर पैट्रोल छिडक कर आग लगा दी। जिससे बाबू लाल मेघवाल उम्र 50 वर्ष, बाबू लाल की मां श्रीमती जडाव देवी उम्र 65 वर्ष, व बाबू लाल का पुत्र हरेन्द्र उम्र 14 वर्ष बुरी तरह से जल गये जिसके कारण जडाव देवी की घटना के दूसरे दिन मौत हो गई व बाबू लाल व हरेन्द्र का ईलाज चल रहा है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 19 फरवरी 2015 को पुलिस थाना सदर नागौर में नामजद आरोपी अन्नाराम, छैलाराम, आईदानराम पुत्राण शक्ताराम व डूंगरराम पुत्र अन्नाराम मेहराम पुत्र श्री शिवकरण समस्त जाति राईका, निवासी बसवानी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 38/15 धारा 447, 307, 326, 147, 149, 302 आई.पी.सी. व 3 (2) (V) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस गम्भीर प्रकरण की जांच वृत्ताधिकारी नागौर द्वारा किया गया अनुसंधान में आरोप प्रमाणित पाया गया। आरापी प्रभावशाली होने के कारण से जांच को प्रभावित करने के लिए व कानून के सिंकजे से बचने के लिए जांच को बदलवा कर ग्रामीण वृत अजमेर से करवाई गई ग्रामीण वृत्ताधिकारी अजमेर ने भी सभी मुल्जिमानों के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाया गया। लेकिन आरोपी प्रभावशाली व ऊंची राजनैतिक पहुंच होने के कारण से अपराध साबित होने के बाद भी जांच को अन्य जांच अधिकारी से करवा कर कानून के सिंकजे से बचना चाहते है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों की

गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीडित परिवार व दलित समुदाय के लोग दिनांक 27 फरवरी 2015 को कलेक्टर कार्यालय नागौर के सामने धरने पर बैठे है लेकिन घटना के 40 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नही किया गया है जिसके कारण से आरोपियों के हौसले बुलन्द हो रहे है।

गौरतलब है कि पुलिस थाना सदर नागौर के थानाधिकारी श्री भंवर लाल देवासी आरोपियों की जाति के व दूर के रिश्तेदार होने की वजह से आरोपियों को सहयोग करने में लगे हुये है जिसके कारण आरोपियों को गिरफ्तार नही किया जा रहा है।

दलित अधिकार केन्द्र के जांच दल के सदस्य निम्न मांग करते है कि :—

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 447, 307, 326, 147, 149, 302 आई.पी.सी. व 3 (2) (V)3 (2) (XV) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत 30 दिन में न्यायालय में चालान पेश किया जावे।
2. नामजद आरोपियों को तुरन्त गिरफ्तार किया जावे।
3. आग में जले बाबू लाल मेघवाल व उसके पुत्र हरेन्द्र मेघवाल को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावे।
4. पीडित का घर आग में जल जाने के कारण से सरकार मकान का निर्माण सरकारी खर्च पर बना कर दैनिक जीवन में काम में आने वाली खाद्यय सामग्री, कपडे, चावल, आनाज, दाले, कपडे, बिस्तर आदि उपलब्ध करवाई जावे।
5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक 11012/3/2013 पीसीआर(डेस्क) दिनांक 10 जुलाई 2014 द्वारा, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12 (4) के अन्तर्गत अत्याचार पीडितों को देय राहत राशि में मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 13 जून 2014 द्वारा संशोधन के अनुसार पत्येक पीडित को तुरन्त मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए।
6. इस प्रकार की घटना की पुर्नरावृति न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ठोस रणनीति तैयार करे।
7. पुलिस थाना सदर नागौर के थानाधिकारी श्री भंवर लाल देवासी का स्थानान्तरण कर अन्य जगह लगाया जावे व थानाधिकारी की भूमिका किसी निष्पक्ष जांच अधिकारी से जांच कर कानूनी कार्यवाही की जावे।

सादर प्रकाशनार्थ,

भवदीय

(चन्दा लाल बैरवा)
कार्यक्रम समन्वयक
मो. 9982246315